

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.05.2022 शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना छपिया ने 02, थाना कोतवाली ने 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुरेश पुत्र शिवनरायन निवासी ग्राम तेलईपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-95/22, 02. प्रदीप कन्नौजिया पुत्र कल्लू कन्नौजिया निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं० 96/22, 03. रमेश कलवार पुत्र रामनरायन कलवार नि० कटहरिया दक्षिणी (बस अड्डा) कस्बा खरगूपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-97/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. भगवान दयाल पुत्र पतिंगे निवासी ग्राम मुराइनपुरवा मौजा सेल्हरी थाना कटरा बाजार गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-165/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मनीराम पुत्र पंचम निवासी शाहपुर गनवरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-133/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजेन्द्र उर्फ भज्जू पुत्र राम खेलावन नि० ग्राम कादीपुर पासीनपुरवा को० कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-193/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जोगिन्दर सिंह पुत्र स्व० जयराज सिंह निवासी महंगीपुरवा, गौहानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-180/22, 02. सुरेश सिंह उर्फ पंचम पुत्र वंशराज सिंह उम्र करीब 37 वर्ष निवासी गौहानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-181/22, 03. दहन प्रसाद पुत्र रामजगराम निवासी राधापुरवा रानीपुर काछी टकटोना थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-182/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मिठाई लाल पुत्र लल्लू निवासी ग्राम चौधरीपुरवा बल्लीपुर थाना मनकापुर गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-168/22, धारा 60,60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.05.2022

चोरी करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-357/22, धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. समीउल्लाह 02. शीतल देवी उर्फ सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने वादी लाल बाबू मिश्रा के बैग से 50,000/- रुपये चुरा लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. समीउल्लाह पुत्र सब्बीर नि0 हसुवापार थाना पयागपुर जनपद बहराइच ।
02. शीतल देवी उर्फ सुमन पत्नी पंकज गोस्वामी नि0 सेमरियावाँ थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

बरामदगी का विवरण –

01. 20000/- रुपये
02. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-357/22, धारा 379.411 भादवि थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.05.2022

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान 'आपरेसन तमंचा' के तहत अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त शुभम तिवारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 02 अदद जिन्दा

कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शुभम तिवारी पुत्र आशीष निवासी आटा परसपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-358/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल मय टीमा।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.05.2022

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 व्यक्ति गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जुआरियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिए थे ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोडारे पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना जुआ खेलते हुए 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल-1000 रुपये नगद एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया । अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना खोडारे में जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. आशीष श्रीवास्त पुत्र अजय कुमार श्रीवास्तव निवासी फत्तेपुर थाना खोडारे जनपद गोण्डा

02. फिरोज पुत्र मोरहीश निवासी फत्तेपुर थाना खोडारे जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 67 / 22, धारा 13 जुआ अधिनियम थाना खोडारे जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अरुण कुमार राय मय टीम ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.05.2022

मिशन शक्ति अभियान के तहत लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-133/2022 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रामकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामकुमार यादव पुत्र स्व0 धीरज यादव निवासी बंधवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-133/2022 धारा 363 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 राजकुमार तिवारी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.05.2021

कूटरचित बैनामा कर पैसे हडपने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मु0अ0स0 63/22 धारा 420, 467, 468, 471, 452, 504, 506, 354बी भादवि व 3(2)5 एस0सी0एसटी0 एक्ट के फर्जी बैनामा कर पैसे हडपने वाला 01 वांछित अभियुक्त 01. घनश्याम तिवारी को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. घनश्याम तिवारी पुत्र बाकेलाल निवासी दुबाबल थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0- 63/22, धारा 420, 467, 468, 471, 452, 504, 506, 354बी भादवि व 3(2)5 एस0सी0एसटी0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 रविप्रकाश यादव मय टीम।